

पुस्तक

श्री अशोक मंगुनी,  
संस्कृत शिक्षा  
उत्तर प्रदेश शासन ।

लेखक

राज्य  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
विद्या केन्द्र-2, मन्दाप केन्द्र,  
प्रो. सिधिवीर, नई दिल्ली ।

विद्या 171 अनुभाग

संस्करण दिनांक: 31 अक्टूबर, 1998

विषय:- महर्षि विश्वा मिन्दर रामपुर की तीर्थोत्सव की नई दिल्ली में सम्पन्नता हेतु अनापत्त प्रमाण पत्र अनुरोध किया जाने के संबंध में ।

अधुना विद्या के अंतर्गत यह उद्देश्य का निर्देश हुआ है कि महर्षि विश्वा मिन्दर की तीर्थोत्सव की नई दिल्ली में सम्पन्नता हेतु अनापत्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आयात नहीं है :-

- 111 विद्यालय की परीक्षित सीलायती का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 112 विद्यालय की <sup>परिसर</sup> सुव्यवस्था में विद्या निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 113 विद्यालय में कम से कम दो प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित विद्यार्थियों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित कुल से अधिक छात्र नहीं लिये जायेंगे ।
- 114 सेवा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को लिये नहीं ली जायेगी । और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्राप्त वैधित्व शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्पत्ता केन्द्र, माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल कार डि. प्रो. अय्यर, देहली/प्रो. अशोक मंगुनी, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषद/केन्द्र सम्पत्ता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान समाप्त हो जायेगी ।
- 115 सेवा अधिक एवं शिक्षणकार कर्मचारियों को राजस्व आधारित प्रतिशत शिक्षण कर्मचारियों के कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्रमानों तथा अन्य भर्तियों से कम वेतनमान तथा अन्य भर्तियों नहीं दिये जायेंगे ।
- 116 कर्मचारियों को सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें आयता प्राप्त अनापत्त उत्सव माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

Handley

17) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निकाले जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

18) विद्यमान या रिजर्व निर्धारित प्रमाण/संयोजकों में रखा जाएगा।

19) उच्च शक्तों/से राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिष्कार/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के विश्व प्रतियोगी होना और यह किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की सुझाव सिफारिश या बातचीत की जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

अशोक गांगुली  
संयुक्त सचिव।

पुस्तक 3191111/15-7-1998 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुपचार्य एवं प्राचार्य का पदाधिकारी के रूप में प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अशोक गांगुली शिक्षा निदेशक, मुंबई/महाराष्ट्र।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, रामपुर।
- 4- निरा. उ. उ. अंग्रेज भारतीय विद्यालय उ. प्र. लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, महर्षि विद्या मन्दिर रामपुर।

आशा है,

*[Handwritten Signature]*

अशोक गांगुली  
संयुक्त सचिव।

*[Handwritten Signature]*

Principal  
Maharishi Vidya Mandir  
Near Govt. P. College  
Gram-Tashka, Rampur (U.P.)

*[Handwritten Signature]*

PRASHANT SINGH  
Principal

MAHARISHI VIDYA MANDIR  
Near Govt. Polytechnic College  
Gram-Tashka, Rampur (U.P.)

*[Handwritten Signature]*

MANAGER  
Maharishi Vidya Mandir Schools Group  
B-64/B, Sector-36, Noida-201301  
G.B. Nagar U.P.